क्रम-संख्या---324

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०---4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०---41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग---4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 26 अप्रैल, 1988

वैशाख 6, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग--3

संख्या 856/37-3-88-66-आर० बी० ओ०-65

लखनऊ, 26 अप्रैल, 1988

अधिसूचना

प० आ०--231

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य-विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिला चमोली में ग्राम गोपेश्वर में विनियमित क्षेत्र की घोषणा से संबंधित सरकारी अधिसूचना संख्या 267-एच/37-66 (आर० बी० ओ०)-65, दिनांक 3 जून, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:---

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, शीर्षक "विनियमित क्षेत्र" के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्---

"चमोली-गोपेश्वर नगरपालिका सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र और जिला चमोली में रौलीग्वाड़, पांडुली और भू-मल्या ग्रामों की सीमा के भीतर पड़ने वाला निम्न प्रकार सीमाबद्ध संपूर्ण क्षेत्र :---

उत्तर---नगरपालिका की सीमा तक जिसके अन्तर्गत ग्राम सागर चन्द कोटी और गंगोल, जिसके पश्चात् चमोली वन क्षेत्र प्रारम्भ होता है, की सीमा भी है।

उत्तर-पूर्व---नगरपालिका की सीमा तक ।

पूर्व---रौलीग्वाड़ पांडुली और भू-मल्या ग्रामों की पूर्वी सीमा तक ।

दक्षिण---नगरपालिका की दक्षिणी सीमा और भू-मल्या ग्राम तक ।

पश्चिम---नगरपालिका की सीमा तक ।

आज्ञा से,
स्वर्ण दास बागला,
सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 856/XXXVII-3—88-66-R.B.O.-65, dated April 26, 1988 :

No. 856/XXXVII-3—88-66-R.B.O.-65

Dated Lucknow, April 26, 1988

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh (Regulation of Building operations) Act, 1958 (U. P. Act no. XXXIV of 1958) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. I of 1904) the Governor is pleased to make the following amendments in Government notification no. 267-H / XXXVII-66 (R.B.O.)-65, dated June 3, 1967 relating to the declaration of Regulated Area in village Gopeshwar in district Chamoli.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, *for* the entries under the heading "Regulated Area" the following entries shall be *substituted* namely :—

Area falling within Chamoli-Gopeshwar Municipal Limits and the entire area falling within the limits of Ranligwad, Panduli and Bhumalya villages in district Chamoli bounded as under :—

North—Up to the limits of the municipality including the limits of villages Sagar Chand Koti and Gangul after which the Chamoli forest area begins.

North-East—Up to the limits of the Municipality.

East—Up to the eastern limits of Ranligwad, Panduli and Bhumalya villages.

South—Up to the southern limits of the Municipality and the Bhumalya village.

West—Up to the limits of the Municipality.

By orderj'
S. D. BAGLA,
Sachiv.

कार्यालय: मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक 2516/व0नि0 (2)/गोपेश्वर-वि0क्षे0/88 दिनांक 27 मई, 1988

उपरोक्त की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून ।

2- नगर नियोजक (II), मुख्यालय, लखनऊ ।

(हरे कृष्ण शर्मा)
वरिष्ठ नियोजक (2)